रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 1984/श्रावण 22, 1906
No. 321] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 1984/SRAVANA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1984

सं. 221/84-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 607 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 47/84-सीमा-शु., तारीख 1 मार्च, 1984, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैरा में,—

(क) "शीर्ष सं. 84.19 के अंतर्गत आने वाले" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अध्याय 84 के अंतर्गत आने वाली" शब्द और अंक लाएंगे ;

(ख) "और खाद्य वस्तुओं के पैकेजिंग में प्रयोग के लिए परिकल्पित" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 346/36/84-टी.आर.यू.]

सी. वरदाराजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 1984

No. 221|84 CUSTOMS

GSR 607(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47|84-Customs, dated the 1st March, 1984, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph, (a) for the words ad figures "under Heading No. 84. 19" the words and figures "within Chapter 84" shall be substituted;

(b) the words "and designed for use in packagings of good articles" shall be omitted.

[F. No. 346|36|84-TRU]

C. VARADARAJAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984